**न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-03, अलवर (राज.)**

पीठासीन अधिकारी ज्योति के.सोनी, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

**निर्णय दिनांकः 15-06-2026**
**सेशन प्रकरण संख्या:85/24**
**सी.आई.एस नंबर 147/23**
**प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या -350/21 थाना कोतवाली अलवर**
**अंतर्गत धारा -323, 307 भा.दं.सं.**
**अभियोगीः-**

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी
**उपस्थितः-**अभियोजन अधिकारी ।
-श्री अजीत यादव, अभियोजन अधिकारी ।

**बनाम**

**अभियुक्तगणः-**

1.जयगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र श्री कपूरचंद निवासी दिल्ली दरवाजा बाहर सत्यनारायण मंदिर के सामने गली में अलवर थाना कोतवाली जिला अलवर

**उपस्थितः-**सुषमा शर्मा विद्वान अधिवक्ता ।

**-प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-**

| | |
|---|---|
| **अपराध की तिथि** | 03.04.2021 |
| **प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि** | 03.04.2021 |
| **आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि** | 15.09.2023 |
| **आरोप विरचित किए जाने की तिथि** | 31.05.2024 |
| **साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि** | 06.09.2024 |
| **निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि** | 15.06.2026 |
| **निर्णय की तिथि** | 15.06.2026 |
| **दण्ड दिये जाने की तिथि [यदि हो तो]** | 15.06.2026 |

## -अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची-

**क.अभियोजन**

| साक्षी का क्रम | साक्षी का नाम | साक्ष्य की प्रकृति |
|---|---|---|
| पी डब्ल्यू 1 | श्रीमती प्रभावती गुप्ता | ताईद एफआईआर, बयान 161 सीआरपीसी |
| पी डब्ल्यू 2 | डॉ0 कैलाश चंद बैरवा | एक्स रिपोर्ट |
| पी डब्ल्यू 3 | डॉ0 के.के.मीणा | एमएलआर रिपोर्ट |
| पी डब्ल्यू 4 | सुभाष कुमार गुप्ता | बयान 161 सीआरपीसी |
| पी डब्ल्यू 5 | रघुनंदन | बयान 161 सीआरपीसी |
| पी डब्ल्यू 6 | राजेश कुमार शर्मा | किता एफआईआर |
| पी डब्ल्यू 7 | कपूर चंद | बयान 161 सीआरपीसी, फर्द गिरफतारी मुलजिम, नक्शा मौका घटनास्थल |
| पी डब्ल्यू 8 | श्रीमती शारदा | बयान 161 सीआरपीसी, नक्शा मौका घटनास्थल |
| पी डब्ल्यू 9 | सुश्री चांदनी गुप्ता | मजरूब |
| पी डब्ल्यू 10 | डॉ0 लोकेन्द्र यादव | चिकित्सक साक्षी |

**ख. बचाव**

| साक्षी का क्रम | साक्षी का नाम | साक्ष्य की प्रकृति |
|---|---|---|
| 1 | निल | निल |

## -अभियोजन /बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची-

**क.अभियोजन**

प्रदर्श सूचीः–

| क्रम संख्या | प्रदर्श संख्या | दस्तावेजो की प्रकृति प्रदर्श संख्या |
|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श पी–01 | तहरीरी रिपोर्ट |
| 2 | प्रदर्श पी–02 | एफआईआर संख्या 0350 / 2021 थाना कोतवाली अलवर |
| 3 | प्रदर्श पी–03 | कसीद नक्शा मौका घटनास्थल |
| 4 | प्रदर्श पी–04, 05 | चोट प्रतिवेदन पत्र प्रभावती, चांदनी |
| 5 | प्रदर्श पी–06 | डिस्चार्ज टिकिट चांदनी |
| 6 | प्रदर्श पी–07 | एक्स रे रिपोर्ट चांदनी |
| 7 | प्रदर्श पी–08 लगायत 10 | एक्स रे प्लेट चांदनी |
| 8 | प्रदर्श पी–11 | फर्द गिरफतारी मुलजिम जयगोपाल उर्फ गोपाल |
| 9 | प्रदर्श पी–12, 13 | बयान 161 सीआरपीसी कपूरचंद, श्रीमती शारदा |

**क.बचाव**

| **क्रम संख्या** | **दस्तावेजों की प्रकृति** | **प्रदर्श डी. संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | बयान 161 सीआरपीसी श्रीमती प्रभावती | प्रदर्श डी 1 |
| 2 | बयान 161 सीआरपीसी रघुनंदन | प्रदर्श डी 2 |
| 3 | बयान 161 सीआरपीसी सुभाष कुमार | प्रदर्श डी 3 |

**<u>निर्णय</u>** **<u>दिनांकः 15.06.2026</u>**

01. यह सेशन प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के न्यायालय से **अभियुक्त जयगोपाल उर्फ गोपाल** के विरूद्ध अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ ।

02. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादिया श्रीमती प्रभावती ने थाना कोतवाली अलवर में प्रदर्श पी 1 इस आशय की दर्ज करायी कि "उसका पीहर बिहार में है । उसकी शादी वर्ष 2014 में दिल्ली दरवाजा बाहर अलवर निवासी गोपाल गुप्ता के साथ हुयी थी । उसके दो लडकियां हैं। जिनमें बडी लडकी का नाम चांदनी है, छोटी का नाम ऋछा है। उसके पति से उसकी अनबन रहती है जिसके चलते वह माह नवंबर 2020 में उसके पीहर दोनों लडकियों को लेकर चली गयी थी । जहां से परसों वापिस अलवर आयी थी । सुबह से ही उसका पति गोपाल उससे लडाई झगडा कर रहा था । उसके पति गोपाल ने उसके साथ मारपीट की और समय करीब 4.20 पी.एम पर उसके पति गोपाल ने उसकी बडी बेटी चांदनी को उनके मकान की पहली मंजिल से जान से मारने की नीयत से नीचे फेंक दिया । जिससे चांदनी के सिर में व छाती में गंभीर चोटें आयी हैं। जिसका ईलाज राजकीय सामान्य चिकित्सालय अलवर में चल रहा है। अतः कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया ....इत्यादि ।

03. उक्त रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 350/21 थाना कोतवाली अंतर्गत धारा 323, 307 भा.दं.सं. में दर्ज किया जाकर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 15.09.2023 को प्रस्तुत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 307 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया गया । सक्षम न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण माननीय सेशन न्यायालय, अलवर को उपार्पित किया गया जहां से प्रकरण वास्ते निस्तारणार्थ इस न्यायालय को अंतरित किया गया ।

04. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 323, 307 भा.दं.सं. के आरोप से आरोपित किया गया तो अभियुक्त ने सुन समझकर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही । दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया ।

05. अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. लिये गये । जिसमें अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा ।

06. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि-

**1.** क्या अभियुक्त ने दिनांक 03.04.2021 को मजरूबान पत्नि प्रभावती एवं बेटी चांदनी के साथ स्वेच्छाय कुंदालय से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की तथा चांदनी को अपने मकान की पहली मंजिल से साशय या ज्ञानपूर्वक ऐसी परिस्थितियों में नीचे फेंककर उसकी हत्या कारित करने का प्रयत्न किया कि यदि पहली मंजिल से नीचे फेंके जाने पर आयी गंभीर/प्राणघातक चोटों से मजरूबा की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त हत्या के अपराध का दोषी होता ?

यदि हाँ तो उचित दण्डादेश क्या होगा ?

07. इस संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि परिवादिया अभियुक्त से विवाह के बाद जब अपने पीहर गयी थी तो किसी अन्य व्यक्ति से उसने विवाह कर लिया और बाद में स्वयं वापिस अभियुक्त के पास आ गयी और इस बाबत अभियुक्त ने मना किया तो परिवादिया ने स्वयं अभियुक्त के साथ झगडा किया । अभियुक्त मानसिक रूप से बीमार रहता है और जिसका ईलाज भी चलता रहता है तथा अभियुक्त के द्वारा उसकी पुत्री को जान से मारने के आशय से नीचे नहीं फेंका गया और पीडिता के कोई जानलेवा चोटें भी नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जाए ।

08. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध किया । और तर्क दिया कि अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति के हैं। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जाए ।

09. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रकरण में गवाह **पी.ड. 1 परिवादिया श्रीमती प्रभावती गुप्ता** है। उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीरी रिपोर्ट में कहे कथनों की पुष्टि में कथन करती है और उल्लेख करती है कि दिनांक 03.04.2021 की बात है। उसके और उसके पति जयगोपाल उर्फ गोपाल

के बीच आपसी लड़ाई झगडे के कारण उसके पति ने उसकी बेटी चांदनी को छत से नीचे फेंक दिया । जिस पर चांदनी के सिर में व अंदरूनी चोटे आयी थी। उसे सरकारी अस्पताल, अलवर में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। उसके बाद उसके दिमाग की स्थिति खराब है। उसकी व उसके पति की शादी दिनांक 07.12.2014 को हुयी थी। उसके पति गोपाल के संसर्ग से उसे दो बेटीयां व एक लडका पैदा हुआ । उसके बच्चों का नाम चांदनी, श्रद्धा, प्रियांश है । शादी के बाद कुछ दिन तक उसके पति ने उसे सही रखा । उसकी बेटी के जन्म होने के उपरांत उसके पति ने उसे परेशान व मारना पीटना शुरू कर दिया और उसे खाना पीना भी नहीं दिया जाता । उसके पति द्वारा यह कहा जाता था कि वह अपनी माता के यहां से कुछ नहीं लेकर आयी है और इसलिए उन्हें यहां कुछ नहीं मिलेगा और परेशान रहना पडेगा तथा गुलाम रहना पडेगा।

10. उक्त गवाह यह भी कथन करती है कि उसके पति द्वारा उसकी बेटी चांदनी को छत से फेंक दिया गया जिसकी तहरीर प्रदर्श पी 01 पुलिस थाना कोतवाली में पेश की जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। कार्यवाही पुलिस पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। घटनास्थल का नक्शा मौका घटना के अगले दिन पुलिस ने उसके सामने बनाया था जो प्रदर्श पी 03 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके साथ भी उसके पति द्वारा घटना दिनांक को मारपीट की गयी थी । उसके शरीर पर आयी चोटो का मेडिकल पुलिस ने करवाया था जो कि प्रदर्श पी 04 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी बेटी चांदनी का भी मेडिकल मुआयना करवाया गया था जो प्रदर्श पी 05 है । जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। चांदनी का डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श पी 06 है।

11. जिरह में भी उक्त गवाह यह तो स्पष्ट रूप से कथन करती है कि वह पांच-छः महिने पहले पीहर गयी थी और उसके बाद वापिस ससुराल आ गयी थी, और झगडा उसके व उसके पति के मध्य हुआ था। साथ ही उक्त गवाह जिरह में यह भी स्वीकार करती है कि अभियुक्त जयगोपाल का दिमाग का ईलाज लगभग एक साल पहले से चल रहा था । वह उसे दिखाने नहीं गयी थी, बल्कि जयगोपाल की मम्मी ही उसे दिखाने ले जाती थी और अभियुक्त बीमारी का नाटक करता है और वह मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है।

12. उक्त गवाह से अधिकांश जिरह अभियुक्त के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के

संबंध में की गयी है, परन्तु अभियुक्त मानसिक रूप से विक्षिप्त हो इस संबंध में अभियुक्त की ओर से साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गयी और ना ही किसी डॉक्टर की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी गयी है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्त मानसिक रूप से विक्षिप्त हो और इसी कारण उसने गलती से उसकी पुत्री को छत से नीचे फेंक दिया हो । अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर अभियुक्त के ईलाज के दस्तावेज उपलब्ध करवाये गये हैं, परन्तु उक्त दस्तावेजों को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है और ना ही ईलाज करने वाले डॉक्टर की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी गयी है जो न्यायालय में यह कथन कर सके कि अभियुक्त मानसिक रूप से विक्षिप्त रहा हो और वह इतना भी नहीं समझता सकता कि यदि वह अपनी पुत्री चांदनी को नीचे फेंक देगा तो उसके चोटें कारित हो सकती है या उसकी मृत्यु कारित हो सकती है।

13. इसके अलावा उक्त गवाह से अधिकांश जिरह उसके पीहर में रहने के दौरान अन्य किसी व्यक्ति से विवाह के संबंध में की गयी है तो यदि प्रभावती ने उसके पीहर रहने के दौरान अन्य किसी व्यक्ति से कोई दूसरा विवाह कर लिया था तो अभियुक्त इस संबंध में परिवादिया के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता था । परन्तु अभियुक्त ने इस बाबत परिवादिया के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की हो ऐसे कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करवाये हैं ।

14. इस प्रकार जो प्रतिरक्षा ली गयी है वह प्रस्तुत प्रकरण के विवाद से संबंधित नहीं होकर परिवादिया का अन्य किसी व्यक्ति से विवाह करने या अभियुक्त के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के बाबत की गयी है। जबकि परिवादिया ने अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में यह स्पष्ट रूप् से कथन कहे हैं कि अभियुक्त ने उसके साथ झगडा करते हुए उसकी पुत्री को पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया था जिससे उसके चोटें आयी थी ।

15. प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण **गवाह पी डब्ल्यू 9 पीडित चांदनी है जिसे कि अभियुक्त ने छत से नीचे फेंक दिया था ।** उक्त गवाह की उम्र कम होने के कारण गवाह से साधारण प्रश्न पूछे जाने के बाद साक्ष्य लेखबद्ध की गयी थी । उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करती है कि पांच-छः साल पहले की बात है। **उसके पापा जयगोपाल द्वारा उसे छत से फेंक दिया गया था** उस समय घर पर उसके मम्मी पापा के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा था । लडाई में उसके पापा मम्मी से मारपीट कर रहे थे। **उसके छत से गिरने से उसके शरीर**

**में, सिर में चोट लगी एवं उसका हॉस्पीटल में इलाज हुआ था।** उसकी संबंधित मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 है, चोट संबंधित एक्सरे प्रदर्श पी 07 है, डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श पी 06 है, चोट संबंधित एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 8 लगायत 10 है।

16. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करती है कि उनके मकान में सीडियां हैं और मंजिल भी है तथा सडक के पास जो कमरा है उसमें झगडा हो रहा था। तब वह छत से नीचे गिर गयी थी उसके सिर में चोट आयी थी । उसमें से खून निकला था । आसपास के लोग इकट्ठा हो गये थे और उसे पता नहीं कि उसे अस्पताल लेकर कौन गया । और उसने चोट लगने वाली बात डॉक्टर को नहीं बतायी थी ।

17. इस प्रकार उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में यह स्पष्ट रूप से कथन करती है कि अभियुक्त ने उसकी माता के साथ झगडा करते हुए उसे छत से नीचे फेंक दिया । उक्त गवाह से भी अधिकांश जिरह परिवादिया प्रभावती के पीहर जाने पर किसी अन्य व्यक्ति से विवाह के संबंध में की गयी है जो किसी भी प्रकार से सुसंगत नहीं है। और इस प्रकार उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में यह स्पष्ट रूप से कथन करती है कि अभियुक्त ने उसकी माता प्रभावती के साथ झगडा करते समय उसे छत से नीचें फेंक दिया था और जिससे उसके चोटें आयी थी । य़द्यपि पीडिता के जो चोटें आयी हैं वह जानलेवा प्रकृति की नहीं है और साधारण प्रकृति की है, परन्तु यह तो स्पष्ट है कि अभियुक्त के द्वारा स्वयं अपनी पुत्री को ही अपनी पत्नि से झगडा करते समय छत से नीचे फेंक दिया था ।

18. **गवाह पी डब्ल्यू 3 डॉ0 के0के0मीणा** है। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 04.04.2021 को वह सामान्य चिकित्सायल, अलवर में मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर कार्यरत थे। उस दिन उन्होंने पुलिस थाना कोतवाली की तहरीर पर पीड़िता प्रभावती का मेडिकल मुआयना किया था व उसके शरीर पर निम्न चोटे पाई गई थी-

**चोट संख्या 01** बांयी भुजा में दर्द की शिकायत लेकिन कोई जाहिरा चोट नहीं थी।

**चोट संख्या 02** कमर में दर्द लेकिन कोई जाहिरा चोट नहीं थी।

**चोट संख्या 03** सिर में दर्द लेकिन कोई जाहिरा चोट नहीं थी।

चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी पीड़िता के हस्ताक्षर है व सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

19. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उसी दिन पीड़िता चांदनी का मेडिकल मुआयना उसके द्वारा किया गया था। उसके शरीर पर निम्न चोटे पायी गई थी।
**चोट संख्या 01** ललाट पर बांयी तरफ 2 गुणा 1 सेमी का कुचला घाव।
**चोट संख्या 02** छाती में दर्द तथा तनाव था।

दोनों चोटे कुंद हथियार से कारित थी। दोनों चोटों की एक्सरे की राय दी गई। चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी पीड़िता की मां के हस्ताक्षर व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। चोटों की राय के लिए एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 है । जिस पर ई से एफ बाद रेडियोलोजिस्ट उसकी राय व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। उनकी राय में चोट संख्या 01 व 02 साधारण प्रकृति की होना पायी गई।

20. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि पीडिता प्रभावती के जाहिरा चोट नहीं थी और साधारण प्रकृति की चोट थी । और यदि कोई बालक खेलता हुआ सडक पर गिर जाए तो उक्त चोटें आ सकती है, परन्तु पीडिता चांदनी खेलते हुए सडक पर गिरी हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

21. प्रस्तुत प्रकरण में पीडिता प्रभावती व चांदनी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट कथन कहे हैं कि अभियुक्त ने पीडिता चांदनी को छत से नीचे फेंका था और उसे फेंकने के कारण उसके चोटें आयी थी । जो चोटें भले ही साधारण प्रकृति की थी, परन्तु उक्त चोटें गिरने पडने से नहीं आयी थी ।

22. **गवाह पी डब्ल्यू 2 डॉ0 कैलाश चंद बैरवा है जो रेडियोलोजिस्ट है।** उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 05.04.2021 को वह सामान्य चिकित्सायल, अलवर में रेडियोलॉजिस्ट विभाग में कार्यरत था । उस दिन डॉ. श्री के.के. मीना मेडिकल ज्यूरिष्ठ, अलवर के प्रतिवेदन पर चांदनी के **एक्स-रे स्कलप व एक्स-रे चेस्ट करवाये गये** और उनकी राय दी गई। उनकी राय में एक्सरे स्कलप व एक्सरे चेस्ट में किसी प्रकार का अस्थि भंग होना नहीं पाया गया जो प्रदर्श पी 07 है । जिस पर ए से बी उसकी राय है तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 08 लगायत 10 है जिस पर ए से बी उनके हस्ताक्षर है।

23. जिरह में भी उक्त गवाह यह कथन करता है कि पीडिता के अस्थि भंग नहीं था ।

24. प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण **गवाह पी डब्ल्यू 10 डॉ. लोकेन्द्र यादव** है। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 05.04.2021 को वह जिला चिकित्सालय अलवर में जनरल सर्जन के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मजरूबा चांदनी उम्र 5 साल का डिस्चार्ज टिकिट उसके द्वारा तैयार किया गया था। जो मजरूबा चांदनी को उपर से गिरने पर सिर में चोट आई थी जिसका कि उन्होने भर्ती कर उसका इलाज किया गया था। बाद इलाज उसके द्वारा डिस्चार्ज कार्ड में एनसीसीटी हैड की रिपोर्ट सामान्य थी। डिस्चार्ज के समय मरीज की स्थिति संतोषजनक थी। मजरूबा का इलाज सिम्टोमैटिक किया गया था। डिस्चार्ज के समय सामान्य दवाईयां दी गयी थी और सात दिन बाद सर्जिकल ओपीडी में दिखाने की सलाह दी गयी थी। उसके द्वारा जो डिस्चार्ज टिकिट तैयार की गयी थी वो प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

25. जिरह में भी उक्त गवाह यह कथन करता है कि उनके द्वारा पीडिता चांदनी को डिसचार्ज किया गया था । उस समय उसकी स्थिति संतोषजनक थी । इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पीडिता चांदनी के गिरने से चोटें आयी थी जिसका ईलाज किया गया था और वह अस्पताल में भर्ती रही थी, जिसका डिसचार्ज टिकिट भी प्रदर्श पी 6 पत्रावली पर उपलब्ध करवाया गया है।

26. **गवाह पी डब्ल्यू 4 सुभाष कुमार गुप्ता व पी डब्ल्यू 5 रघुनंदन है जो अभियुक्त के जीजा हैं व हितबद्ध गवाह हैं और घटना के बाद घटनास्थल पर गये थे ।** उक्त गवाहान अपनी मुख्य परीक्षा में यह उल्लेख करते हैं कि दिनांक 03.04.2021 को शाम चार बजे जब वे सत्यनारायण मंदिर के पास पहुंचे तो भीड़ लगी हुई थी और एक महिला की गोद में बच्ची थी जो चिल्ला-चिल्ला कर बच्ची को अस्पताल ले जाने के लिए कह रही थी। जब उन्होंने मौजूदा भीड़ से पूछा तो उन्हें बताया गया कि जयगोपाल व उसकी पत्नि के बीच अनबन होने के कारण झगड़ा हुआ था और बीच में बच्ची के आ जाने पर जयगोपाल ने उसे जान से मारने की नीयत से छत से नीचे सड़क पर फेंक दिया था। बच्ची की मां के साथ मारपीट की थी। बच्ची को मौके पर उपस्थित लोग अस्पताल लेकर चले गये ।

27. जिरह में भी उक्त गवाह यह कथन करते हैं कि वह अभियुक्त गोपाल को नहीं जानते हैं और उनके सामने अभियुक्त जयगोपाल ने पीडिता चांदनी को छत से नहीं फेंका था, परन्तु जब वह घटनास्थल पर गये थे तो बच्ची की मां ने बताया था कि जयगोपाल ने उसकी पुत्री को छत से नीचे फेंक दिया है और वह भीड देखकर रूके थे । इस प्रकार इससे भी यह स्पष्ट है कि जब अभियुक्त के द्वारा उसकी पुत्री चांदनी को छत से नीचे फेंका गया तो उस समय आसपास के अन्य राहगीर व्यक्ति इकट्ठा हो गये और जिसमें से उक्त दोनों गवाहों ने भी इस संबंध में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दी है।

28. उक्त गवाहों ने अपनी मुख्य परीक्षा में तो घटना की पुष्टि में कथन कहे हैं, यद्यपि जिरह में उक्त गवाह विरोधाभासी कथन करते हैं, परन्तु यह तो स्पष्ट रूप से कथन करते हैं कि उस समय भीड में वह वहां घटनास्थल पर उपस्थित थे । उक्त गवाह अभियुक्त के जीजा होने व हितबद्ध गवाह होने के कारण जिरह में विरोधाभासी साक्ष्य देते हैं।

29. **गवाह पी डब्ल्यू 7 कपूर चंद व पी डब्ल्यू 8 श्रीमती शारदा है । जो अभियुक्त जयगोपाल के माता-पिता हैं।** उक्त दोनों गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुए हैं। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करते हैं कि जयगोपाल उनका बेटा है। जयगोपाल की शादी प्रभावती के साथ दिनांक 07.12.2014 को हुयी थी । प्रभावती के माता-पिता ने बिहार से आकर अलवर में शादी की थी । उनके बेटे जयगोपाल के नुत्फे से प्रभावती के दो बेटी व एक बेटे का जन्म हुआ था । बडी बेटी का नाम चांदनी व दूसरी बेटी का नाम श्रद्धा है। बेटे का नाम प्रियांशु है। शादी के बाद से प्रभावती व उनके बेटे जयगोपाल के संबंध सही थे, लेकिन कुछ दिन से उनके संबंध खराब हो गये , उनमें आपस में अनबन होने लगी । जिस कारण प्रभावती उसकी छोटी बेटी को लेकर पीहर चली गयी । वहां जाकर उसने दूसरी शादी कर ली थी । उसके दो-तीन माह बाद प्रभावती अलवर आ गयी उसने बताया कि दूसरी शादी की है वह उसकी बच्ची को मारेगा इसलिए वह अलवर आ गयी थी । कुछ दिन प्रभावती व जयगोपाल सही रहे, लेकिन उसके बाद वापिस उनमें आपस में क्या बात हुयी उन्हें पता नहीं । उसके बाद वह वापिस एक साथ रहने लग गये । उनकी पोती का पैर सीडियों से फिसल गया था जिससे उसको कोई चोट नहीं आयी थी । इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता ।

30. गवाह पी डब्लयू 7 कपूर चंद यह भी कथन करता है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 11 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। चांदनी का भर्ती टिकिट प्रदर्श पी 6 है। उसके पुलिस में बयान प्रदर्श पी 12 हुए थे ।

31. गवाह पी डब्ल्यू 8 श्रीमती शारदा यह भी कथन करती है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। चांदनी का भर्ती टिकिट प्रदर्श पी 6 है। पुलिस में उसके बयान प्रदर्श पी 13 हुए थे ।

32. उक्त गवाहान से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त दोनों गवाह अभियुक्त के माता-पिता हैं और केवल मात्र यह कथन करते हैं कि अभियुक्त व उसकी पत्नि के मध्य अनबन रहती थी और उस दिन दोनों में आपस में कहासुनी हुयी थी, परन्तु क्या बात हुयी थी उन्हें जानकारी नहीं है। और उनकी पोती का पैर सीडियों से फिसल गया था । जबकि पीडिता चांदनी के द्वारा यह स्पष्ट रूप से कथन कहे गये हैं कि पीडिता का पैर सीडियों से नहीं फिसला था, बल्कि पीडिता को अभियुक्त ने छत से स्वयं ने नीचे फेंका था ।

33. **प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी लखन सिंह की मृत्यु होने के कारण अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की जा सकी । प्रकरण में गवाह पी डबल्यू 6 राजेश कुमार शर्मा जो कि चार्जशीट का गवाह है** उक्त गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन कहे हैं कि वह दिनांक 03.04.2021 को थानाधिकारी कोतवाली, अलवर के पद पर पदस्थापित था। उस दिन सरकारी अस्पताल, अलवर में प्रभावती दरवाजा बाहर अलवर ने ट्रोमा वार्ड में एक लिखित रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की । जिस पर मजमून से मामला धारा 323, 307 आईपीसी का पाये जाने पर उनके द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित की गई तथा थाना वापिस आने पर मुकदमा नम्बर 350/2021, धारा 323, 307 आईपीसी में दर्ज कर तफ्तीश श्री लखन सिंह द्वारा की गई। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी भाग पर परिवादीया व सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा ई से एफ कार्यवाही पुलिस एवं जी से एच अभियोजन दर्ज करने का नोट अंकित है।

34. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी परिवादीया व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान अधिकारी लखन सिंह के द्वारा परिवादीया प्रभावती व शारदा, कपूर चंद, रघुनन्दन, सुभाष

कुमार के बयान धारा 161 सीआरपीसी लेखबद्ध किये व घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 तैयार किया गया । जिस पर ए से बी परिवादीया, सी से डी, ई से एफ गवाहान् व जी से एच अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर है जिसकी पुस्त पर हालात मौका आई से जे व जी से एच अनुसंधान अधिकारी लखन सिंह एएसआई के हस्ताक्षर है।

35. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि परिवादीया प्रभावती व चांदनी का मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी 04 व 05, **चांदनी की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 07, डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श पी 06, एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 08 लगायत 10 अनुसंधान अधिकारी लखन सिंह एएसआई के द्वारा शामिल पत्रावली किये जाकर बालिका चांदनी के बयान लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये** । प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 307 आईपीसी का अपराध बनना पाये जाने पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 11 तैयार की गई जिस पर ए से बी अभियुक्त के हस्ताक्षर, सी से डी, ई से एफ गवाहान् व जी से एच अनुसंधान अधिकारी लखन सिंह एएसआई के हस्ताक्षर है।

36. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि सम्पूर्ण तफ्तीश कर अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 323, 307 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली उसके समक्ष पेश की। उनके द्वारा चालानी आदेश प्राप्त कर अभियुक्त के विरूद्ध चार्जशीट नम्बर 197 दिनांक 30.04.2021 को अपराध धारा 323, 307 आईपीसी में किता कर चालान न्यायालय में पेश किया। चार्जशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर ई से एफ अभियुक्त के हस्ताक्षर है। अनुसंधान अधिकारी लखन सिंह एएसआई उसके अधीनस्थ कार्य किये जाने के कारण वह उनके हस्ताक्षरों को पहचानता है।

37. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि अनुसंधान अधिकारी की मृत्यु लगभग डेढ वर्ष पूर्व हुयी थी और वह उसके अधीनस्थ होने के कारण उनके हस्ताक्षर आदि को पहचानता है। और चांदनी का मैडिकल मुआयना आदि उसके समक्ष नहीं हुआ था और उसके द्वारा चार्जशीट पेश की गयी थी ।

38. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी की मृत्यु हो चुकी थी इस कारण अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं हो पायी। परन्तु पत्रावली पर

जो दस्तावेज हैं तथा गवाह उपलब्ध हैं उक्त गवाहों की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के द्वारा उसकी पत्नि प्रभावती से झगडा करते समय उसकी पुत्री चांदनी को छत की पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया था । प्रस्तुत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटनास्थल के आसपास के व्यक्तियों की साक्ष्य गवाह के रूप में लेखबद्व नहीं की गयी, परन्तु परिवादिया पीडिता प्रभावती व पीडिता चांदनी ने अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में यह स्पष्ट रूप से साक्ष्य दी है कि अभियुक्त ने प्रभावती से झगडा करते समय उसकी स्वयं की पुत्री चांदनी को छत से नीचे फेंक दिया था जिससे चांदनी के चोटें आयी थी । उसे अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था ।

39. पत्रावली पर पीडिता का अस्पताल में भर्ती टिकिट व डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श पी 6 भी उपलब्ध है और पीडिता का चोट प्रतिवेदन भी उपलब्ध है। उक्त चोट प्रतिवेदन में यद्यपि पीडिता चांदनी के गंभीर चोटें नहीं आयी थी, परन्तु पीडिता के सिर का ईलाज करवाया गया था और जिसमें सी.टी स्केन व पीडिता का ईलाज करवाया गया था जिसमें  पीडिता चांदनी को दिनांक 03.04.2021 को अस्पताल में भर्ती किया गया और दिनांक 05.04.2021 को डिस्चार्ज किया गया था, अर्थात दो दिन पीडिता अस्पताल में भर्ती रही थी ।

40. अभियुक्त के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि अभियुक्त के द्वारा जान से मारने के आशय से उसकी पुत्री चांदनी को नीचे नहीं फेंका गया और अभियुक्त पर धारा 307 भा.दं.सं. का अपराध नहीं बनता है तो अभियुक्त अधिवक्ता का उक्त तर्क केवल इस हद तक तो उचित प्रतीत होता है कि अभियुक्त के द्वारा उसकी पुत्री को जान से मारने के आशय से नीचे नहीं फेंका गया था, परन्तु अभियुक्त के द्वारा उसकी पुत्री को छत से नीचे फेंका गया था जिससे उसकी मृत्यु कारित होने की संभावना हो सकती थी । इस प्रकार अभियुक्त का आशय भले ही पीडिता चांदनी को मारने का नहीं रहा हो, परन्तु उसके कार्य से मृत्यु कारित होने की संभावना तो स्पष्ट रूप से दर्शित होती है।

41. इस संबंध में जहां तक धारा 307 भा.दं.सं. का संबंध है तो धारा 307 भा.दं.सं. निम्न प्रकार है-

**धारा 307 भा.दं.सं. हत्या करने का प्रयत्न**-जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह  दोनों में से किसी भांति के

कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा, जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है।

**तथा धारा 308 भा.दं.सं. निम्न प्रकार है-**

**धारा 308 भा.दं.सं. आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न**-जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा । इस प्रकार यद्यपि पीडिता की साक्ष्य से अभियुक्त का आशय पीडिता चांदनी को जान से मारने का तो नहीं था, परन्तु उसके कार्य से पीडिता चांदनी की मृत्यु होना संभव थी और उसके कृत्यु से पीडिता चांदनी के चोटें भी आयी थी ।

42. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 307 भा.दं.सं. का अपराध तो बनना नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त ने अपनी पुत्री को जान से मारने के आशय से नीचे फेंका हो । परन्तु उसकी पत्नि के साथ विवाद में उसने अपनी पुत्री को छत से नीचे फेंक दिया जिससे उसकी मृत्यु कारित हो सकती थी । **इसलिए अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307 भा.दं.सं. के स्थान पर धारा 308 भा.दं.सं. का अपराध बनना पाया जाता है। व पीडिता प्रभावती व चांदनी के साधारण चोटें भी हैं ।** अतः अभियुक्त अपराध अंतर्गत धारा 323, 308 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है तथा अभियुक्त अपराध अंतर्गत धारा 307 भा.दं.सं. के तहत दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

43. अतः **अभियुक्त जयगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र श्री कपूरचंद निवासी दिल्ली दरवाजा बाहर सत्यनारायण मंदिर के सामने गली में अलवर थाना कोतवाली जिला अलवर** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 323, 308 भा.दं.सं.** में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

तथा अभियुक्त जयगोपाल उर्फ गोपाल को अपराध अंतर्गत धारा 307 भा.दं.सं. के तहत दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

## दण्ड के प्रश्न पर सुना गया ।

44. दण्ड के बिन्दु पर अभियुक्त को सुना गया । दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है वह आगे ऐसा अपराध नहीं करेगा । अभियुक्त वर्ष 2023 से अन्वीक्षा भुगत रहा है । उसके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियुक्त को कम से कम सजा दी जावे ।

45. जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त को उसके कृत्य की अधिक से अधिक सजा दी जावे ।

46. उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

47. उभय पक्षों की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त वर्ष 2023 से अन्वीक्षा भुगत रहा है, परन्तु अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 308 भा.दं.सं. का अपराध है। अभियुक्त ने उसकी पत्नि के साथ विवाद में अपनी पुत्री चांदनी को छत से नीचे फेंक दिया जिससे उसकी मृत्यु कारित हो सकती थी तथा उसकी पुत्री चांदनी के उपहतियां भी कारित हुयी थी । ऐसी दशा में अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

## दंडादेश

48. अतः अभियुक्त **जयगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र श्री कपूरचंद निवासी दिल्ली दरवाजा बाहर सत्यनारायण मंदिर के सामने गली में अलवर थाना कोतवाली जिला अलवर** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 323, 308 भा.दं.सं.** में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर निम्न दंड से दंडित किया जाता है-

| क्र. सं. | अभियुक्त का नाम | धारा | सजा | जुर्माना | अदम अदायगी जुर्माना |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अभियुक्त **जयगोपाल उर्फ गोपाल** | धारा 323 भा.दं.सं. | अभियुक्त को एक माह का साधारण कारावास | अभियुक्त को पांच सौ रूपये अर्थदंड | अदम अदायगी अर्थदंड अभियुक्त तीन दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा |
| | | धारा 308 भा.दं.सं. | अभियुक्त को तीन वर्ष का साधारण कारावास | अभियुक्त को दस हजार रूपये अर्थदंड | अदम अदायगी अर्थदंड अभियुक्त छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा |

49. अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा में भुगती हुई सजा को मूल सजा में धारा 428 सी.आर.पी.सी के तहत समायोजित किया जावे ।

50. सभी मूल सजाएं साथ-साथ चलेगी ।

51. अभियुक्त का सजा वारण्ट पृथक से बनाया जावे ।

52. चूंकि संविधान के अनुसार भारत लोक कल्याणकारी राज्य है, इसलिए राज्य शासन द्वारा पीडित प्रतिकर स्कीम वर्ष 2011 बनायी गयी है तथा इस संबंध में द.प्र.सं. 1973 की धारा 357 में आवश्यक संशोधन किए जाकर धारा 357 क,ख व ग भी जोडी गयी है, जिसका सार मात्र यही है कि यदि किसी आपराधिक घटना के परिणामस्वरूप पीडित व्यक्ति को कोई शारीरिक अथवा सांपत्तिक क्षति अथवा नुकसान होता हो तो इसकी पूर्ति नियमानुसार करवायी जा सके ।

53. प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए **पीडिता चांदनी** को धारा 357 [क] दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिकर दिलाये जाने हेतु प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर को अनुशंसा किये जाने योग्य पाया जाता है तथा निर्णय की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर को **पीडिता चांदनी** को उचित प्रतिकर राशि दिलाये जाने हेतु प्रेषित की जावे ।

54. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को अविलंब निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

55. निर्णय आज दिनांक 15.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर